

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगित/सहिकार रखने  
से पत्रावली दिनांक 30/6/21 पेश हो।

29-10-21

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021  
केम्प गाम बाद में पेश हुई अप्तारीगल के सम्मन  
बाद शामिल प्राप्त उठ व परवार एल्काइस भौत  
नियति पेश हुई जिसे शा-प किया गया, प्रार्थिया  
का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर निर्णय रूप  
से लिखा जाकर शा-प किया गया। पत्रावली  
के लल शुमार होकर नम्बर से कम ही

डॉ. पूजासक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस. प्रशासन गाँवों के संग अभियान 20

क्रमा संख्या :- 228/20 प्रा. पत्र

श्रीमती नारायणी देवी ए/० जापुरावालाई जिवारसी - तहसील रवेडा तहसील  
--प्राची

बनाम  
श्री राजू ए/० श्री लोभा जवाई जिवारसी - तहसील रवेडा तहसील मांडल (भीलवाड़ा)  
--विपक्षीगण  
(सिद्धाजी प्रकाश)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक

प्राची की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
किया कि ग्राम.....जापुरावालाई.....पटवार हल्का.....गोपास.....तहसील मांडल/में उसके

संयुक्त खातों की आराजी नं.....638 339.....कुल कित्ता .....02  
0-7768 हेक्टेयर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

धवा के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राची अपने खाते  
त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....18-12-20.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राची के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का  
परी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेशा

तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक  
त के आधार पर आवेदन पत्र प्राची स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राची का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....जापुरावालाई

हल्का.....गोपास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....638 339

.....कुल कित्ता .....02.....रकबा.....0-7968 हेक्टेयर.....

चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

द्वी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....गुंवारिया.....को .....500/-

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राचीगण मौके पर जमा करावें।

नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील  
तो आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

तपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राची द्वारा राशि जमा करान पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की  
र पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021